



एग्री आर्टिकल्स

(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)

वर्ष: 02, अंक: 06 (नवम्बर-दिसम्बर, 2022)

www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध

© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

मेरा पानी मेरी विरासत योजना

(शिखा भुकल, ईला रानी, संयोगिता, दीक्षा रानी एवं मनीषा)

विस्तार शिक्षा एवं संचार प्रबंधन विभाग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

संवादी लेखक का ईमेल पता: shikhab2011995@gmail.com

मेरा पानी मेरी विरासत योजना, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा लॉन्च की गयी है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के डार्क जोन में शामिल क्षेत्रों में धान की खेती छोड़ने तथा धान के स्थान पर अन्य विकल्पित फसलों की बुआई करने वाले किसानों को 7 हजार रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में राज्य के 19 ब्लॉक शामिल किए गए हैं जिनमें भू-जल की गहराई 40 मीटर से ज्यादा है। इनमें से भी आठ ब्लॉक में धान की रोपाई ज्यादा है जिनमें कैथल के सीवन और गुहला, सिरसा, फतेहाबाद में रतिया और कुरुक्षेत्र में शाहाबाद, इस्माइलाबाद, पिपली और बबैन शामिल हैं। इसके अलावा इस मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत वह क्षेत्र भी किये गए है जहां 50 हार्स पावर से अधिक क्षमता वाले ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य के किसान धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसले जैसे मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, तिल, कपास, सब्जी की खेती कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जिन ब्लॉक में पानी 35 मीटर से नीचे है, वहां पंचायती जमीन पर धान की खेती की अनुमति नहीं मिलेगी।

हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना का उद्देश्य

किसानो से मुख्यमंत्री द्वारा अनुरोध किया गया है कि किसान वहाँ धान की खेती न करे क्योंकि धान की खेती में बहुत अधिक पानी लगता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के किसानों से अपील की है। इस योजना के जरिये किसानो को फसल विविधिकरण अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

मेरा पानी मेरी विरासत योजना की विशेषताएं:

- जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना को लांच किया है।
- किसानो को धान की खेती छोड़ने के कोई परेशानी न हो इसलिए राज्य सरकार उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे है।
- हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को लॉन्च करते हुए कहा है कि डार्क जोन में शामिल क्षेत्रों में रहने वाले जो किसान धान की खेती छोड़ देंगे उन्हें सरकार द्वारा 7000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाएगी।

- राज्य के किसान धान को छोड़कर अन्य वैकल्पित फसलों जैसे मक्का , अरहर, मूंग, उड़द, तिल, कपास, सब्जी आदि की खेती कर सकते हैं।
- हरियाणा राज्य के किसी दूसरे ब्लाक में भी इच्छुक किसान धान की खेती छोड़ना चाहते हैं तो वह भी इस योजना के अंतर्गत अनुदान के लिए आवेदन कर पाएंगे।

मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन:

- इस योजना के माध्यम से यदि किसान द्वारा खेती की जमीन के 50% या फिर उससे अधिक हिस्से पर धान की जगह मक्का, कपास, बाजरा, दलहन, सब्जियां आदि की फसल उगाई जाती है तो इस स्थिति में किसान को ₹7000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- यह राशि प्राप्त करने के लिए किसान को गत वर्ष के धान के क्षेत्रफल में 50% या फिर 50% से अधिक फसल विविधीकरण करना होगा।
- यदि किसान द्वारा फसल विविधीकरण के लिए सिंचाई यंत्र खेत में लगाए जाते हैं तो इस स्थिति में किसान को कुल लागत का सिर्फ जीएसटी ही देना होगा।
- यदि किसान द्वारा फसल विविधीकरण के अंतर्गत फसल का बीमा कराया जाता है तो किसान के हिस्से की राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
- मक्का बिजाई मशीन पर 40% का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- मंडियों में मक्का सुखाने के लिए मशीन की स्थापना की जाएगी जिससे कि किसानों को उचित मूल्य का भुगतान किया जा सके।
- किसान द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अंतर्गत उगाई गई फसल पर सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी।
- सभी खंड जिनका भू जलस्तर 35 मीटर गहराई या फिर उससे ज्यादा है एवं पंचायत की भूमि पर धान के अतिरिक्त कम पानी का उपयोग करने वाली फसलों को उगाया जाता है तो इस स्थिति में ग्राम पंचायत को ₹7000 प्रति एकड़ प्रदान किए जाएंगे।
- वह सभी किसान जिन्होंने फसल विविधीकरण के अंतर्गत धान को जगह फलदार पौधे एवं सब्जियों की खेती की है उनको ₹7000 प्रति एकड़ की दर से भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा उनको बागवानी विभाग द्वारा संचालित किए जाने वाली अन्य योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार अनुदान राशि का भुगतान भी किया जाएगा।

मेरा पानी मेरी विरासत योजना मुख्य तथ्य:

- किसानों को उन जगहों पर धान की खेती करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां पर पिछले वर्ष धान की खेती नहीं हुई थी।
- वह ग्राम पंचायत जहां पर जल स्तर 35 मीटर गहरा है वहां पर धान की खेती नहीं की जाएगी।
- वह किसान जिनकी ट्यूबवेल 50 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर से चल रही है उनको धान की खेती करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ड्रिप इरिगेशन सिस्टम खेत में लगाने पर 85% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- इस योजना की सफलता के लिए सरकार द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा।
- इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक पोर्टल आरंभ किया जाएगा।

मेरा पानी मेरी विरासत योजना के लाभ:

- इस योजना का लाभ हरियाणा के किसान भाई उठा सकते हैं।
- मक्का और दलहन की खेती में आवश्यक बुवाई आदि फार्म मशीनरी उपलब्ध कराने के साथ माइक्रो-इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन के लिए 80 फीसदी सब्सिडी भी जाएगी।
- इस योजना के तहत मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, तिल, कपास और सब्जी की खेती की जाएगी। इन फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी।
- इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रत्साहन धनराशि प्राप्त करने के लिए किसानो को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।